शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 04-11-2020, वर्ग - BA - II

State Finance Commission
राज्य वित्त आयोग

73 वे Constitution amendment अधिनियम में यह प्रावधान किया गया हैं कि राज्यों के राज्यपाल 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिवर्तन के एक वर्ष के अवधि में यथा शीघ्र और इसके पश्चात 5 प्रतिवर्ष के अन्तराल पर संविधान के अनुच्छेद 243-I (243-झ) के तहत एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्यों सहित वित्त आयोग का गठन करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा।

अनुच्छेद 280 के तहत, केन्द्र के finance Commission की तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए निम्न (4) में सिफारिश करना होता हैं —

1) राज्य द्वारा लगाये गए करो, शुल्को, टोल

और फीस की विशुद्ध आय का पंचायतों तथा राज्य के बीच आवंटन करना जिससे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता हैं और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता हैं।

ii) पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल फीस सौंपी जा सकती हैं; का निर्धारण करना।

नगर निकायों की वित्तीय समीक्षा

(financial Review of municipalities) —

संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया हैं कि पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत गठित आयोग संविधान के अनुच्छेद 243-Y के तहत नगर निकायों की वित्तीय स्थिति का भी समीक्षा कर सकेगा।

⇒ राज्य वित्त आयोग के कार्य —

राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की

वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना। राज्य के संचित नीधि से राज्य मे स्थित विभिन्न पंचायती राज्य संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करना। वित्तीय मुद्दों के सम्बन्ध मे केन्द्र और राज्य सरकार के मध्यस्ता के रूप मे कार्य करना। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली राशि का सदुपयोग करना। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करो, शुल्को, टोल, और अधिशुल्को का राज्य मे स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच आवंटन करना। कर, टोल, शुल्क और फीस, जिसे राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता हैं, का निर्धारण करना।

संविधान के अनुच्छेद 243-I का सम्बन्ध वित्त आयोग हैं जो पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति

समीक्षा करता है। भारत में पंचायती राज संस्था का अवधारणा और आकांक्षा का उपयोग में लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकार के साथ अंतिम रैंक के अधिकारी तक वित्त आसानी या सावधानी से उपलब्ध होता है तो सत्ता के अन्तरण को महसूस किया जा सकता है। इन पहलुओं के मद्देनजर राज्य वित्त आयोग की भूमिका को देखा जा सकता है।

⇒ सकारात्मक पक्ष :-

लोक तंत्र के विचार को बढ़ावा देना सरकार और शासन के वृहद विकासवादी पहलू। स्थानीय लोगों और स्थानीय नेताओं का सशक्तिकरण। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए धनराशि का सही मात्रा और समय में पहुंचाना।

⇒ नकारात्मक पक्ष :-

राज्य अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने में अनिच्छुक रहे

है। राज्य वित्तीय आयोग स्वयत्तता में बहुत अधिक हस्तक्षेप और अतिक्रमण का कार्य कर रहा है। राज्यों के पास स्वयं के खर्चे के लिए पर्याप्त धन नहीं है। जिस वजह से धनराशि को वापस करने के कारण मामूली धनराशि का राज्य सरकार द्वारा हमेशा विरोध किया जाता है। अभी तक राज्य वित्त आयोग के विचार को सच्ची भावना में लागू नहीं किया जा सका है।

The end.